

5¹¹ १३/१२/२५ फरीद को दिला। पत्रावली का
बतौनाम दि० १३/१२/२५ के क्रम में

१३/१२/२५ को नम हाजिर श्रीमान एसडीएम साहब
अवकाश/पुनोद/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त
है, पत्रावली दिनांक २०/११/२५ पर हो

२०/११/२५ आज पत्रावली पर ही अधिवक्ता को हाजिर
वकील नामा पर ही करने हेतु वकील उमर पर
अवकाश प्राप्त। पत्रावली दिनांक २०/११/२५ को
देखें।

२०/११/२५ आज पत्रावली पर ही (पीपी) अधिवक्ता को
हाजिर। १०/११/२५ के क्रम में अपने पत्र क्रमांक
२१४ दिनांक ०५-०३-२०२५ से अवकाश कराया है कि
श्री अ. वि. वि. - कारवाली व पत्रावली पर
S.T.K. के क्रम में रिपोर्टिड अंतित किया है कि
श्री पीपी साहिबी के कताया कि उस हुक्म कारवाली
की आवश्यकता नहीं है हुक्म कारवाली के आगे
नहीं चलाया जा रही है।

हुक्म कारवाली के प्रतीया के क्रम में प्र
वकील को प्रान्त रिपोर्टिड अंतित प्रतीया
के क्रम में आवश्यकता नहीं है व प्रान्त प्रान्त
करने के उपरांत प्रान्त रिपोर्टिड अंतित के क्रम में
प्रतीया व प्रतीया के अधिवक्ता को हुक्म कारवाली
के क्रम में प्रान्त के क्रम में प्रान्त प्रान्त प्रान्त प्रान्त
प्रान्त प्रान्त के क्रम में प्रान्त प्रान्त प्रान्त प्रान्त प्रान्त
प्रतीया को प्रान्त प्रान्त प्रान्त प्रान्त प्रान्त प्रान्त प्रान्त
प्रान्त प्रान्त प्रान्त प्रान्त प्रान्त प्रान्त प्रान्त प्रान्त प्रान्त
प्रान्त प्रान्त प्रान्त प्रान्त प्रान्त प्रान्त प्रान्त प्रान्त प्रान्त



तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उपरोक्त पर निम्नलिखित बातें हैं। उपरोक्त पर
श्री श्री कांय रिपोर्ट के अनुसार प्राप्ति के
क्रम में खारिज किया जाता है। फ़ावली निम्न
लिखित रूप में है।

निम्नलिखित कार्यवाही के द्वारा



उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर